

**कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार**

भारत-पाक एवं चीन युद्ध में मृतक/अपंग सैनिकों के बच्चों/उनकी विधवाओं का छात्रवृत्ति

Scholarships for wards and widows of martyrs/disabled soldiers of Indo-Pak and Indo-China Wars

1	योजना का नाम	भारत-पाक एवं चीन युद्ध में मृतक/अपंग सैनिकों के बच्चों/उनकी विधवाओं का छात्रवृत्ति
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	भारत-पाक एवं चीन युद्ध में मृतक/अपंग सैनिकों के बच्चों/उनकी विधवाओं का छात्रवृत्ति
3	लाभान्वित वर्ग	विद्यार्थी
4	पात्रता	<p><b>नूतन:-</b> उपरोक्त युद्ध में मृतक अथवा अपंग सैनिकों के बच्चों/विधवाओं को एन्टाईटिलपेन्ट कार्ड के आधार पर छात्रवृत्ति दी जायेगी। यह छात्रवृत्ति स्नातक कक्षा तक ही देय है। यह छात्रवृत्ति राजकीय/अराजकीय महाविद्यालयों अध्ययनरत छात्रा को दी जावेगी।</p> <p><b>नवीनीकरण:-</b> जिनको पूर्व में नूतन छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई हो तथा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र को ही नवीनीकरण छात्रवृत्ति देय होगी।</p>

For details and circulars regarding the scheme visit: <http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in>

or

Contact:

Joint Director (Scholarships), Department of College Education, Block-IV, Dr. S. Radhakrishnan Shiksha Sankul, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur Phone 0141-2700629 e-mail: [sch.cce@rajasthan.gov.in](mailto:sch.cce@rajasthan.gov.in)